



व्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

निगरानी/2014 पन्ना ₹ २५।।- ॥१॥८

*श्री कुबीदेवी मंदि बुंशवाह, आम्र
दास आज दि ५.८.१४ को*

मस्तुत

*इलक ओफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर*

मोहन लाल पटेल पुत्र महादेव पटेल,
निवासी-आम/पोस्ट इटवाखास, माजरा-किरहा,
थाना-बृजपुर, तहसील/जिला-पञ्चा

..... आवेदक/निगरानीकर्ता
बगाज

1. गुब्बीदेवी पत्नी रामकुमार सोनी, निवासी-
रिशोरगंज, पञ्चा
2. मथुरादेवी पत्नी सरदार सिंह यादव, निवासी-
टिकुरिया मोहल्ला, तहसील/जिला पञ्चा
3. ग०प्र० शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा ५० ग०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९
के अन्तर्गत प्रस्तुत दिल्ली आदेश तङ्गोलादार पञ्चा के प्र. क्र.
६८/अ-१२/२०१३-१४ गुब्बीदेवी बगाज शासन आदेश दिनांक
३०.६.१४ को पारित।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-2411-तीन/2014

जिला-पन्ना

मोहन लाल पटेल विरुद्ध गुन्नीदेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकर्तरों एवं अधिकारकों आदि के हस्ताक्षर
22-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री कुवं र सिंह कुशवाह एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार पन्ना, जिला- पन्ना के प्रकरण क्रमांक 68/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला- पन्ना के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	 